वर्ष 18 अंक 81
पृष्ठ 24+4+4=32
पटना, रविवार
2 जुलाई 2017
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 4.00

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

पटना का नं.1 अखबार

दिया भरोसा | मुख्य आयुक्त ने जीएसटी को नई पीढ़ी का नया कर समाधान बताया

जीएसटी को समझने तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं : सिंह

राज्य ब्यूरो, पटना : जीएसटी के मुख्य आयुक्त, बिहार व झारखंड शिवनारायण सिंह ने देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी के लागू होने को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह नई पीढ़ी का नया कर समाधान है। यह देश को अबतक का सबसे ईमानदार टैक्स सिस्टम दे रहा है। उन्होंने राज्य के व्यवसायियों को यह भी भरोसा दिया कि जीएसटी की बारीकियों को समझने तक उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिवनारायण सिंह शनिवार को रेवेन्यू भवन में जीएसटी को लेकर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

पटना के रेवेन्यू भवन में जीएसटी को लेकर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते मुख्य आयुक्त शिवनारायण सिंह • जागरण

इस मौके पर आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त केसी घुमेरिया, वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त एम ओझा, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल समेत जीएसटी से संबंधित विभागों के अधिकारी व व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। शिवनारायण सिंह ने कहा कि राज्य में जीएसटी से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों के दफ्तर अब सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। यहां व्यवसायियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने से बिहार जैसे उपभोक्ता राज्यों की अहमियत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यवसायियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं में भी कई तरह की आशंकाएं हैं, जो थोड़े समय तक रहेंगी। मौके पर आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त केसी घुमेरिया ने कहा कि देश में एक समान कर प्रणाली के लागू होने से टैक्स की चोरी पर तो लगाम कसेगा ही, साथ ही सरकार के राजस्व में भी दोगुने की वृद्धि होगी। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने जीएसटी के अधिकारियों से आग्रह किया कि इसकी बारिकियों को समझने में व्यवसायियों को थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि इस नई कर प्रणाली से व्यवसायियों को सरकार के 17 विभागों और उसके अधिकारियों से निजात मिल गई है।